

न्यायालय :-श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक
मजिस्ट्रेट, अंजड़ जिला -बड़वानी (म.प्र.)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 419 / 2015
संस्थित दिनांक-03.08.2015

म.प्र. राज्य द्वारा-आरक्षी केन्द्र
अंजड़, जिला बड़वानी

..... अभियोगी

वि रु द्ध

अखिलेश पिता चन्द्रशेखर सोहना,
उम्र 36 वर्ष, निवासी गड़ी मोहल्ला,
अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.

..... अभियुक्त

राज्य द्वारा	-	श्री अकरम मंसूरी ए.डी.पी.पी.ओ. ।
अभियुक्त द्वारा	-	श्री संजय गुप्ता अधिवक्ता ।

--:: निर्णय ::--
(आज दिनांक 20 / 02 / 2017 को घोषित)

01. आरोपी के विरुद्ध पुलिस थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 163 / 15 के आधार पर दिनांक 30.06.2015 को प्रातः 09:30 बजे स्थान कमलेश गैस एजेंसी के पास राजपुर रोड़ अंजड़ में लोकमार्ग पर वाहन हीरो पेशन प्रो क्रमांक एमपी 46 एम.एच. 9627 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर चंदूबाई को गिराकर उसकी मृत्यु ऐसी परिस्थिति में कारित करने जो आपराधिक मानव वध की कोटी में नहीं आता के लिये भा.द.वि. की धारा-304ए का अभियोग है ।

02. प्रकरण स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था ।

03. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 30.06.2016 को सुबह 9:30 बजे मृतिका चंदूबाई पिता गबरू कोली निवासी सजवाय की अखिलेश पिता चन्द्रशेखर सोहनी की मोटरसाइकिल हीरो पेशन प्रो क्र. क्रमांक एमपी 46 एम.एच. 9627 में पीछे बैठकर सजवाय से अंजड़ जा रही थी कि रास्ते में राजपुर रोड़ पर आते समय उक्त मोटरसाइकिल चालक आरोपी ने मोटरसाइकिल को तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर रोड़ पर बने टेपर से गाड़ी गिरा दी जिससे उसके पीछे बैठ चंदूबाई को गिरने से सिर में पीछे तरफ चोट लगने से उपचार के दौरान जिला चिकित्सालय बड़वानी में मृत्यु हो गई । आरोपी को गिरफ्तार कर उससे उक्त मोटरसाइकिल के दस्तावेज और उसकी चालन अनुज्ञप्ति जप्त की तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया ।

04. उक्त अनुसार आरोपी का भादवि की धारा-304ए का अभियोग लगाये जाने पर आरोपी ने अपराध से इंकार कर विचारण चाहा, उसका अभिवाक् लिखा गया ।

दप्रस की धारा 313 के अंतर्गत किये गये परीक्षण में आरोपी ने स्वयं को निर्दोष होना बताया गया किन्तु बचाव में किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया ।

05. विचारणीय प्रश्न निम्न उत्पन्न होते हैं:-

क.	विचारणीय प्रश्न
1	क्या आरोपी ने दिनांक 30.06.2015 को प्रातः 09:30 बजे स्थान कमलेश गैस एजेंसी के पास राजपुर रोड़ अंजड़ में लोकमार्ग पर वाहन हीरो पेशन प्रो क्रमांक एमपी 46 एम.एच. 9627 को लोकमार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर मृतिका चंदूबाई को गिराकर उसकी मृत्यु ऐसी परिस्थितियों में कारित की जो आपराधिक मानववध की श्रेणी में नहीं आती है ?

:-सकारण निष्कर्ष:-

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 का निराकरण :-

06. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में सुरेन्द्र कनेश (असा.6) का कथन है कि दिनांक 03.07.15 को वह थाना अंजड़ में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। मार्ग क्रमांक 25/15 प्रपी-8 चंदूबाई की मृत्यु के संबंध में प्राप्त होने पर उसने साक्षी संजय और विक्रम के कथन लेखबद्ध किये थे, जिसमें उन्होंने आरोपी द्वारा तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक से मोटरसाइकिल चलाकर चंदूबाई को गिराकर उसकी मृत्यु कारित करने के संबंध में कथन किये तो उसने अपराध क्र. 163/15 प्रपी-9 का आरोपी के विरुद्ध दर्ज किया जिसके ए से ए एवं बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने नक्शामौका प्रपी-4 का बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने आरोपी के पेश करने पर हिरो पेशन प्रो क्रमांक एमपी 46 एम.एच. 9627 प्रपी-10 के अनुसार जप्त की थी। बचाव पक्ष की ओर से किये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि प्रपी-8 में दुर्घटना किस वाहन से हुई उसका उल्लेख नहीं है तथा गाड़ी के नंबर का भी उल्लेख नहीं है। साक्षी ने स्वीकार किया कि राजपुर रोड़ पर यातायात का दबाव बना रहता है और वाहन बड़ी मात्रा में निकलते हैं। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने आरोपी के विरुद्ध असत्य प्रकरण दर्ज किया है या वह असत्य कथन कर रह हैं।

07. डॉ. प्रमोद गुप्ता (असा.4) ने दिनांक 30.06.15 में जिला चिकित्सालय बड़वानी में मृतक चंदूबाई की मृत्यु की सूचना पुलिस चौकी बड़वानी पर प्रपी-6 की देने उसके ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना तथा चंदूबाई के शव का परीक्षण करने पर उसकी मृत्यु 24 घंटे के भीतर सिर में आई चोटों के कारण होने के संबंध में कथन किये तथा शव परीक्षण प्रपी-4 भी प्रमाणित किया हैं। डॉ. अर्पिता गुप्ता (असा.5) ने दिनांक 30.06.15 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अंजड़ में चंदूबाई पति प्रभू के मोटरसाइकिल से गिरने से चोट आने के कारण ईलाज के लिये बेहोशी में लाने के संबंध में कथन किया है एवं अपने परीक्षण प्रपी-8 भी प्रमाणित किया हैं।

08. पंडू (असा.7) ने दिनांक 02.08.15 को थाना अंजड़ के अप.क. 136 / 15 में जप्त मोटरसाइकिल क्रमांक एमपी 46 एम.एच. 9627 का यांत्रिकी परीक्षण कर प्रपी-11 का प्रतिवेदन देने के संबंध में कथन किया है। साक्षी ने बचाव पक्ष के सुझाव को स्वीकार किया कि उक्त लिखा पढ़ी थाने पर की थी और प्रपी-11 उसकी लिखावट में नहीं है।

09. विक्रम मण्डलोई (असा.2), रंजित कोला (असा.2) तथा मनोहर कोली (असा.3) को अभियोजन की ओर से चरमदीद साक्षी होना बताया गया लेकिन उक्त तीनों ही साक्षी ने आरोपी को पहचानने या आरोपी द्वारा उतावलेपन या उपेक्षपूर्ण तरिके से मोटरसाइकिल क्रमांक एमपी 46 एम.एच. 9627 को चलाकर चंदूबाई को गिराकर उसकी मृत्यु कारित करने के संबंध में कोई भी कथन नहीं किये। उक्त साक्षीयों को पक्षविरोधी घोषित कर सूचन प्रश्न पूछने पर साक्षीयों ने अभियोजन के मामले का कोई भी समर्थन नहीं किया। यहां तक की पुलिस को कोई कथन देने से स्पष्ट रूप से इंकार किया।

10. ऐसी स्थिति में जबकि अभियोजन की ओर से किसी भी साक्षी ने उक्त मोटरसाइकिल क्रमांक एमपी 46 एम.एच. 9627 को आरोपी द्वारा उतावलेपन या उपेक्षपूर्ण तरिके से चलाकर उस पर बैठी चंदूबाई को गिराकर उसकी मृत्यु कारित करने के संबंध में कोई कथन नहीं किये तो ऐसी स्थिति में आरोपी के विरुद्ध भा.द.स. की धारा 304ए का अपराध प्रमाणित नहीं होता है, और उसे आरोपित अपराध या अन्य किसी अपराध के लिये दोषी नहीं ठहराया जा सकता और न ही उसके विरुद्ध कोई निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किया जा सकता।

11. उक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन अपना मामला आरोपी के विरुद्ध संदेह से परे प्रमाणित करने में पुर्णतः असफल रहा है। अतः यह न्यायालय अखिलेश पिता चन्द्रशेखर सोहना, उम्र 36 वर्ष, निवासी गड़ी मोहल्ला, अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र. को भा.द.वि. की धारा-304ए के अपराध से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित करता है।

12. आरोपी के जमानत-मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

13. आरोपी का द.प्र.सं. की धारा-428 के अंतर्गत निरोध की अवधि का प्रमाण-पत्र बनाया जाए।

14. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति वाहन मोटरसाइकिल क्रमांक एमपी 46 एम.एच. 9627 उसके स्वामी को पूर्व से सुपुर्दगी पर दिया गया है, अतः सुपुर्दगीनामा बाद अपील अवधि निरस्त समझा जाए, अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया ।

(श्रीमती वंदना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.

(श्रीमती वंदना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.